

21/11/24

आपका पत्रावली को पेश हो।

27/11/24 पत्रा पेश करी प्रानी एवं वकील युक्त उपर।
प्रानी का दावा डायरी ठास पेशी में
खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रान्ति-
पत्र का कोई कार्य नहीं। कतः प्रानी
का प्रान्ति-पत्र 212 RTI की लिए
खारिज किया जाता है।

प्रान्तिकी लिखक सुभाष होकर
नमस्ते कि का का कर साक्षिक सुभाष हो



उपख...
नदबई (नरतपुर)